राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4526/2024

कैलाश चन्द शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2024
आदेश की दिनांक : 13.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 13.07.2023 को एक वर्ष के लिये नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः नियुक्ति प्रदान की गयी थी। इसके पश्चात वर्ष 2024 में आदेश दिनांक 10.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी की पुनः एक वर्ष के लिये सेवा अवधि बढाई गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को यह नोटिस दिया गया है कि 15 दिवस पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं बिना किसी कारण के समाप्त की जा रही है। उनका आगे कथन है कि सेवा शर्तों में जो पुनः नियुक्ति की शर्ते हैं, उसमें 15 दिवस के नोटिस पश्चात सेवा समाप्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होने का प्रावधान है।
3. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की पुनः नियुक्ति की जो शर्तें थी, उसमें यह शर्त रखी गई थी कि सेवाएं 15 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी संविदाकर्मी है। ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 की शर्तें अपीलार्थी पर लागू नहीं होती हैं। यदि सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है तो उनके विवेक पर यह अधिकरण टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह प्रशासनिक कार्य है और प्रशासनिक कार्य में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने स्तर पर प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र रहेगा।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष